न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00008

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री मन्ना लाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गणेशी बाई बेवा कन्हैया लाल
   1/2. घांसी लाल पुत्र कन्हैया लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/2/1. चन्दा बाई बेवा घांसी लाल ।
   1/2/2. मुकेश नागर पुत्र घांसी लाल ।
   1/2/3. नरेन्द्र नागर पुत्र घांसी लाल ।
   1/2/4. पिंकी पुत्री घांसी लाल ।
   1/3. घनश्याम पुत्र कन्हैया लाल
   1/4. रामावतार पुत्र कन्हैया लाल
   1/5. हेमलता पुत्री कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र मन्ना लाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राजेन्द्र कुमार पुत्र द्वारकी लाल ।
   1/2. कन्हैयालाल पुत्र द्वारकीलाल ।
   1/3. आशाा बाई पुत्री द्वारकीलाल जाति धाकड निवासी पेट्रोल पम्प के सामने आशा फ्लोर मील बारां रोड बोरखेडा कोटा ।
2. बिरधीलाल पुत्र मन्ना लाल जाति धाकड निवीस भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. पृथ्वीलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवीस भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. रामचन्द्री बाई पत्नी छोटूलाल जाति धाकड निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
5. सुभद्रा बाई पत्नी श्री राम कल्याण जी धाकड निवासी हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. भरोसी बाई पत्नी पन्ना लाल धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. धूली बाई उर्फ भूली बाई पत्नी छोटूलाल जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां ।
8. शांति बाई पत्नी लटूर लाल जी धाकड निवी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा।

9. कान्ति बाई पत्नी मुकुट जी जाति धाकड निवासी टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. भैरी बाई बेवा मन्ना लाल जी धाकड निवासी भाण्डाहेडा (नाम तर्क) ।
11. मंगी लाल पुत्र नन्दा जी धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. चतरी बेवा छोटू लाल (नाम तर्क) ।
13. छोटी बाई पत्नी धन्ना लाल जाति धाकड निवासी नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 02.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद में गत खसरा नम्बर 186 की रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी में स्थित थी । वर्तमान बन्दोबस्त विभाग द्वारा जरिये नये खसरा नम्बर 273 की रकबा 0.42 व खसरा नम्बर 357 की रकबा 2.42 हैक्टर कायम कर वादी की खातेदारी में दर्ज की गई है । 21 बीघा 14 बिस्वा के 3.47 हैक्टर बनते है जिसके स्थान पर वर्तमान बन्दोबस्त विभाग द्वारा 2.84 हैक्टर दर्ज कर 0.63 हैक्टर भूमि अवैध रूप से बिना अधिकार के वादी की खातेदारी में कम करते हुए नये खसरा नम्बर 279 व खसरा नम्बर 273/1254 में शामिल कर दी है । खसरा नम्बर 279 गैरमुमकिन खाल सरकारी दर्ज कर दिया व खसरा नम्बर 273/1254 की आराजी प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 13 की खातेदारी में दर्ज कर दी । खसरा नम्बर 273 के पूर्व व पश्चिम में प्रतिवादीगण की भूमि नहीं थी । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादी की खातेदारी की 0.63 हैक्टर भूमि अवैध रूप से प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 279 व 273/1254 की 0.63 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.01.2013 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.10.2019 को हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 31.10.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया है । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं रहा है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है । गैर मुमकिन नाले की आराजी से वादी के खाते की आराजी की कमी पूर्ति नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा एक दावा बाबत् घोषणा प्रतिवादीगण के खिलाफ परीक्षण न्यायालय में यह कथन करते हुए पेश किया है कि साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज थी जिसके सेटलमेंट के उपरान्त नये खसरा नम्बर 273 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 2.42 हैक्टर कायम किये गये हैं । 21 बीघा 14 बिस्वा का रकबा 3.47 हैक्टर बनता है जिसके स्थान पर अवैध रूप से बन्दोबस्त विभाग ने 0.63 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है और यह रकबा खसरा नम्बर 279 व खसरा नम्बर 273/1254 में शामिल कर दिया गया है । खसरा नम्बर 279 गैर मुमकिन खाल सरकार दर्ज किया गया है और खसरा नम्बर 273/1254 प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 13 के

खाते में दर्ज किया गया है । गलत रूप से वादी की यह आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पेश होने के बाद प्रतिवादी कम 14 सरकार की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है । शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है और उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 नया खाता संख्या 24 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श– 3, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4 व 5, नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श– 6 पेश किये गये हैं ।

11. बयानों में वादी के बयान कराये गये हैं ।

12. पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.10.2007 के अनुसार सरकार का जवाब बन्द किया गया है परन्तु पत्रावली पर जवाब सरकार जो कि दिनांक 01.10.2011 को पेश किया गया है संलग्न है और दिनांक 01.10.2011 की कोई आदेशिका पत्रावली पर अंकित नहीं की गई है जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार का जो जवाबदावा बन्द किया गया था उसको खोला जाकर सरकार को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया था या नहीं और जब सरकार के द्वारा पेश किये गये जवाबदावे को संलग्न किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों में निर्णय पारित किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर कोई विधिक राजीनामा पेश किया हो । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.082021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा